पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 2131
दिनांक-3108.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- बक्शी का तालाब

- **क्राइम टीम/सर्विलांस टीम (डीसीपी उत्तरी) व बीकेटी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चैन स्नैचिंग की दो बड़ी वारदातों का किया गया सफल अनावरण।**
- **बीकेटी थाना क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से नकदी व बाइक बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनाँक 28.08.2025 को आवेदिका श्रीमती सपना सिंह पत्नी श्री राम नारायण सिंह अस्ती रोड थाना बीकेटी लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर दिये गये प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 27/08/25 को समय करीब 20.00 बजे के आस पास बडी बाजार बी0के0टी0 में एक व्यक्ति ने झपट्टा मार कर वादिनी के गले कि सोने की चेन खींच कर रोड के दूसरे तरफ खडे मोटरसाइकिल सवार अपने साथी के साथ सैरपुर कि तरफ भाग जाने के सम्बन्ध प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 352/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएसएस पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक अरुण कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

आज दिनांक 31.08.2025 को वरिष्ठ उपनिरीक्षक अरुण कुमार मय हमराह पुलिस क्षेत्र में गशत एवं लंबित विवेचना में व्यस्त थे। मुखबिर खास की सूचना के क्रम में पूर्व से रवाना उ0नि0 श्री अशोक कुमार यादव, उ0नि0 श्री शेषमणि मिश्र, हे0का0 आशीष सिंह को मौके पर तलब किया गया, जो उपस्थित आये,जिन्हे मुखबिर खास की सूचना से अवगत कराकर मामपुर बाना कट किसान पथ पर घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की। थोड़ी देर बाद एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर वाहन छोड़कर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर मामपुर बाना कट किसान पथ पर ही पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम सलमान पुत्र स्व0 अबरार अहमद निवासी सदरौना थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष बताया, जामातलाशी से 17,400/- रूपये नगद मिले।

तत्पश्चात पकड़े गये व्यक्ति से भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब मैने व मेरे दोस्त सिद्धार्थ पुत्र गोविन्द ने मिलकर अप्रैल माह में आद्या लॉन के सामने एक महिला से सोने का मंगलसूत्र छीन कर भाग गये थे उसको कुछ दिन बाद हम लोगो ने एक अन्जान व्यक्ति को 48,000/- रूपये में बेंच दिया था मिले रूपयों को आधा आधा बांट लिया था तथा दिनांक 27.08.2025 को शाम को करीब 08.00 बजे हम दोनो ने मिलकर कस्बा बीकेटी बाजार से एक महिला की चैन छीन कर भाग गये थे, चैन सिद्धार्थ के पास थी। सिद्धार्थ ने मुझे 20,000/- रूपये दिये थे। जिसमे से कुछ पैसे दोस्तो के साथ खाने पीने में खर्च हो गये हैं, बचे पैसे आपने बरामद कर लिये है। साहब मै पुलिस के पकडने के डर से इधर-उधर सोता हूँ अब मै अपनी साइड गुडम्बा सोने जा रहा था कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया। आद्या लॉन के सामने की घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 173/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है।

तत्पश्चात पक्रडे गये व्यक्ति सलमान उपरोक्त से मोटरसाइकिल संख्या UP32PC3567 के सम्बन्ध मे पूछा गया तो बताया कि साहब यह मोटरसाइकिल मेरी है जिसे ई-चालान एप्प के माध्यम से देखा गया तो उक्त मोटरसाईकिल किसी अन्य महिला के नाम पंजीकृत होना पायी गयी। जिसके सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्ति से पूछा गया तो बताया कि साहब मोटरसाईकिल लेते वक्त मेरे नाम नही हो रही थी जिसे मैने अपने व्यव्हारी एक महिला सीमा के नाम से निकलवायी है परन्तु मोटरसाईकिल मेरी ही है, इसी से हम लोगो ने अप्रैल माह व दिनांक 27.08.2025 को घटना कारित की थी, तत्पश्चात चालक/अभियुक्त सलमान उपरोक्त से मोटरसाईकिल के कागजात तलब किये गये तो दिखाने से कासिर रहा।

बरामदगी के कारण मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की जा रही है। अभियुक्त सलामान उपरोक्त को जुर्म मु0अ0सं0 173/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 352/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना बीकेटी,लखनऊ से अवगत कराते हुए मामपुर बाना कट किसान पथ से गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त होने वाले मोटरसाईकिल संख्या UP32PC3567 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

<u>02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>

1. सलमान पुत्र स्व0 अबरार अहमद निवासी सदरौना थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष – अभियुक्त प्रापर्टी डीलिंग का कार्य करता है।

<u>03-अनावरित अभियोग का विवरण-</u>

01-मु0अ0सं0 173/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना बीकेटी लखनऊ
02-मु0अ0सं0 352/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना बीकेटी लखनऊ

<u>04-अभियुक्त सलमान उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-</u>

01.मु0अ0सं0 184/2018 धारा 392 IPC थाना आलमबाग, लखनऊ
02.मु0अ0सं0 364/2016 धारा व 147/148/323/325/452/504 भादवि व (1)(घ)/3(1)(द) SC/ST Act थाना पारा, लखनऊ
03.मु0अ0सं0 349/2017 धारा 323/504/506 IPC थाना पारा, लखनऊ
04.मु0अ0सं0 334/2018 धारा 147/148/323/325/336/452/506 IPC थाना पारा, लखनऊ
05.मु0अ0सं0 61/2025धारा109(1)/115(2)/238/249/281/303(2)/351(3)/352 BNS थाना पारा, लखनऊ
06.मु0अ0सं0 183/2025 धारा 109/115(2)/191(2)/191(3)/309(4)/324(4) BNS थाना काकोरी, लखनऊ
07.मु0अ0सं0 72/2017 धारा 392/411 IPC थाना कृष्णानगर, लखनऊ
08.मु0अ0सं0 77/2017 धारा 392 IPC थाना कृष्णानगर, लखनऊ
09.मु0अ0सं0 354/2018 धारा 25/7 Arms Act थाना कृष्णानगर, लखनऊ
10.मु0अ0सं0 101/2018 धारा 25/7 Arms Act व 392/411 IPC थाना मानकनगर, लखनऊ
11.मु0अ0सं0 132/2018 धारा 2/3 UP गैंगस्टर एक्ट 1986 थाना मानकनगर, लखनऊ
12.मु0अ0सं0 31/2017 धारा 392/411 IPC थाना तालकटोरा, लखनऊ
13.मु0अ0सं0 90/2018 धारा 394 भादवि थाना मानकनगर, लखनऊ

05-बरामदगी:-

- बरामदगी 17,400 रूपये व
- 01 अदद मोटरसाईकिल संख्या UP32PC3567

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

क्राइम/सर्विलांस टीम डीसीपी उत्तरी	थाना बीकेटी पुलिस टीम
क्राइम/सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि0 श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	वरिष्ठ उपनिरीक्षक अरुण कुमार – टीम प्रभारी
हे0का0 नदीम	उपनिरीक्षक शैलेन्द्र मिश्रा
हे0का0 अवधेश गिरी	उपनिरीक्षक अशोक कुमार यादव
हे0का0 संतोष कुमार	उपनिरीक्षक शेषमणि मिश्र
हे0का0 अमित कुमार गौतम	हेड कांस्टेबल आशीष सिंह
का0 विशेष दुहुण	कांस्टेबल अम्ब्रीश सिंह
का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह	कांस्टेबल सचिन यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 2132
दिनांक 31.08.2025

जोन-पूर्वी / थाना-चिनहट

- **थाना चिनहट पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से दुकान में मोबाइल चोरी करने का आरोपी / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **चोरी किये हुए 02 मोबाइल फोन व नगद 4000/- रु0 बरामद।**

01. संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.08.2025 को थाना स्थानीय पर अभियुक्त 01. राजा उर्फ राजेश पुत्र छोटू दुर्वे निवासी ग्राम गेनपुर थाना कबधा कवर्धा प्रदेश छत्तीसगढ उम्र करीब 23 वर्ष को सांई प्लाजा में टण्डन बेकरी के नाम से दुकान में चोरी करते हुए पकड़कर वादी शिवम टण्डन व उनके साथी पंकज चौरसिया द्वारा थाने पर लाया गया।

थाना स्थानीय पर दिनांक 31.08.2025 को वादी मुकदमा शिवम टण्डन द्वारा वादी के दुकान से विपक्षी द्वारा 02 मोबाइल फोन व नगद 4000/- रु0 चोरी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-461/25 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ बनाम-01.राजा उर्फ राजेश पुत्र छोटू दुर्वे निवासी ग्राम गेनपुर थाना कबधा जनपद कवर्धा प्रदेश छत्तीसगढ उम्र करीब 23 वर्ष पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त 01. राजा उर्फ राजेश उपरोक्त को सांई प्लाजा में टण्डन बेकरी के नाम से दुकान मे चोरी करते हुए वादी व उसके साथी द्वारा पकड़कर दिनांक 31.08.25 को थाने लाया गया, जिसे कब्जा पुलिस मे लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही। जिसके पास से चोरी के 02 अदद मोबाईल व 4000/- रुपया बरामद किया गया।

02.पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0-461/25 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना चिनहट जनपद लखनऊ

03.गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राजा उर्फ राजेश पुत्र छोटू दुर्वे निवासी ग्राम गेनपुर थाना कबधा जनपद कवर्धा, प्रदेश छत्तीसगढ उम्र करीब 23 वर्ष

04. बरामदगी-

- 02 अदद मोबाइल फोन व 4000/- रुपये

05.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 कपिल कुमार थाना चिनहट लखनऊ
2. उ0नि0 अभिषेक तिवारी थाना चिनहट लखनऊ
3. उ0नि0 विशाल यादव थाना चिनहट लखनऊ
4. का0 अर्जुन थाना चिनहट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-2133
दिनांक 31/08/2025

PROJECT SAFE RIDE

1. वाहन स्वामी एवं चालक के रजिस्ट्रेशन के लिए दिनांक 31/08/2025 नियत की गयी थी।
2. वाहन स्वामी एवं चालक के रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर पर तकनीकी सुधार हेतु रजिस्ट्रेशन की **अन्तिम तिथि पुनः दिनांक 30/09/2025 नियत की** गयी है।
3. वाहन स्वामी से निवेदन है कि अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन लखनऊ पुलिस की वेबसाइट http://lucknowpolice.up.gov.in/erickshaw/ पर जाकर करें।
4. वाहन स्वामी अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन करते वक्त वाहन से सम्बन्धित वैध दस्तावेज रखेगे। (जैसे- वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेश सर्टिफिकेट आदि)
5. वाहन स्वामी अपने वाहन एवं उन पर लगे चालक की सूचना लखनऊ पुलिस की वेबसाइट पर जाकर देंगे।
6. पुलिस विभाग द्वारा वाहन चालक का चरित्र सत्यापन करा लिया जायेगा, चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है यदि चरित्र सत्यापन कराया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन के दौरान इसकी जानकारी अवश्य उपलब्ध करायें।
7. रजिस्ट्रेशन के दौरान वाहन स्वामी का ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य नही है परन्तु वाहन स्वामी से अपेक्षा है की वे अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा कर ही वाहन चलाएं।
8. वाहन स्वामी सत्यापन के उपरान्त वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन से सम्बन्धित QR Code डाउनलोड कर सकते है।
9. उपरोक्त QR Code को डाउनलोड कर अपने वाहन की स्क्रीन पर लगाना अनिवार्य होगा।
10. जनपद वासियों से अपील रहेगी की उन्ही ऑटो/रिक्शा का उपयोग करें जिन पर QR Code लगा हो तथा QR Code पर उपलब्ध डिटेल के ड्राइवर ही वाहन को चला रहे हो।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2130

दिनांक 31.08.2025

जोन-उत्तरी / थाना-रहीमाबाद

- **थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा लूट/चोरी की योजना बनाकर चोरी/लूटपाट करने वाले गिरोह के 04 शातिर अभियुक्तों के किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस व सेंध लगाने ताला तोड़ने का सामान बरामद।**

01.संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 31.08.2025 को वादी मुकदमा राज्य द्वारा उ0नि0 श्री आशीष कुमार शुक्ला द्वारा लिखित तहरीर दी जिसमें बताया गया कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति प्राथमिक विद्यालय रसूलाबाद थाना रहीमाबाद लखनऊ के अन्दर परिसर में मेन गेट की बायी तरफ दीवार से सटकर झुण्ड बनाकर बैठे है तथा आपस में लूटपाट व चोरी करने की बात कर रहे है, जिनमें से एक व्यक्ति के पास अवैध तमंचा तथा शेष के पास सेध लगाने ताला तोड़ने के सामान हैं और सभी मिलकर लूटपाट और चोरी की योजना बना रहे हैं ये चोरों और लूटेरों की टोली है जो आज निश्चित ही चोरी व लूट की घटना कारित कर सकते हैं।

उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 134/2025 धारा 313 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट विरूद्ध अतीक पुत्र मासूक अली निवासी ग्राम अहमदाबाद कटौली आदि कुल 04 शातिर अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना को संज्ञान लेते हुए उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक रहीमाबाद द्वारा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 31.08.2025 को प्राथमिक विद्यालय रसूलाबाद थाना रहीमाबाद लखनऊ के पास से अभियुक्तों 01.अतीक उम्र करीब 50 वर्ष 02.मतीन उम्र करीब 21 वर्ष 03.मारूफ उम्र करीब 19 वर्ष 04.गुफरान उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

03.गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. अतीक पुत्र मासूक अली उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम धौरा जनपद उन्नाव हालपता- ग्राम अहमदाबाद कटौली थाना रहीमाबाद लखनऊ,
2. मतीन पुत्र स्व0 पप्पू उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम अहमदाबाद कटौली थाना रहीमाबाद लखनऊ,
3. मारूफ पुत्र स्व0 रसीद उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम तकिया थाना रहीमाबाद लखनऊ,
4. गुफरान पुत्र स्व0 जन्नत अली उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम तकिया थाना रहीमाबाद लखनऊ

04.पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 134/2025 धारा 313 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रहीमाबाद लखनऊ

05.बरामदगी का विवरणः-

कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस व एक अदद बड़ी टार्च रंग काला व एक अदद हेक्सा ब्लेड मय फ्रेम व एक अदद लोहे की हथौड़ी व एक अदद लोहे की छैनी तथा लोहे का एक अदद सब्बल (बेल्चा लोहे का) व दो छल्ले मे छोटी बड़ी साइजों की चाबियों का गुच्छा व एक छोटा पीला टार्च तथा एक झोले मे दो पेचकस लोहे के व एक अदद प्लास लोहे का व एक छोटी रेती व एक हेक्सा मशीन की ब्लेड।

06.आपराधिक इतिहासः-

1.अतीक पुत्र मासूक अली उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम धौरा जनपद उन्नाव हालपता- ग्राम अहमदाबाद कटौली थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

- मु0अ0सं0 188/2021 धारा 366/120बी भादवि थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ
- मु0अ0सं0 16/2023 धारा 379/411 भादवि थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
- मु0अ0सं0 398/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ
- मु0अ0सं0 134/2025 धारा 313 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

2. गुफरान पुत्र स्व0 जन्नत अली उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम तकिया थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

- मु0अ0सं0 282/2022 धारा 366/506 भादवि व 11/12 पाक्सो एक्ट थाना मलिहाबाद लखनऊ
- मु0अ0सं0 134/2025 धारा 313 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रहीमाबाद लखनऊ

गिरफ्तार करने वाली थाना रहीमाबाद की पुलिस टीमः

1.उ0नि0 आशीष कुमार शुक्ला थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
2.उ0नि0 संदीप कुमार थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
3.उ0नि0 करन सिंह थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
4.उ0नि0 अमित कुमार थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
5.आरक्षी सुरेश कुमार गौतम थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
6. आरक्षी शैलेन्द्र थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
7. आरक्षी पवन कुमार थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
8. आरक्षी शीर्षपाल थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2334
दिनांक-31.08.2025

जोन- पश्चिमी/थाना रहीमाबाद

शांति व्यवस्था भंग करने वाले 09 अभियुक्तों को थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

थाना स्थानीय पर एनसीआर/प्रार्थना पत्र की जांच के क्रम में आज दिनांक 31.08.2025 को उ0नि0 मय हमराह क्षेत्र में मामूर होकर ग्राम सिसवारा थाना रहीमाबाद लखनऊ पहुंचा। जहां पर प्रथम पक्ष के श्रीमती शाँती देवी पत्नी श्री केशन निवासी सिसवारा थाना रहीमाबाद लखनऊ द्वारा थाना रहीमाबाद पर एनसीआर संख्या 45/2025 धारा 115(2)/352 बीएनएस बनाम 01.अशोक कुमार पुत्र मथुरी, 02.संगीता पत्नी अशोक कुमार, 03.अंजली पुत्री अशोक कुमार सर्वनिवासीगण ग्राम सिसवारा थाना रहीमाबाद लखनऊ पंजीकृत कराया था तथा द्वितीय पक्ष के अशोक कुमार पुत्र मथुरी निवासी ग्राम सिसवारा थाना रहीमाबाद लखनऊ द्वारा थाना रहीमाबाद पर एनसीआर संख्या 46/2025 धारा 115(2)/352 बीएनएस बनाम 01.शान्ती देवी पत्नी श्री केशन, 02.सूरज पुत्र श्री केशन, 03.धीरज पुत्र श्री केशन, 04.मुस्कान पुत्री श्री केशन निवासीगण ग्राम सिसवारा थाना रहीमाबाद लखनऊ पंजीकृत कराया था। जिसको लेकर प्रथम पक्ष के 01.धीरज कुमार पुत्र श्रीकेशन उम्र करीब 21 वर्ष, 02.सूरज पुत्र श्रीकेशन उम्र करीब 23 वर्ष, व द्वितीय पक्ष के 01.अशोक कुमार पुत्र मथूरी उम्र करीब 42 वर्ष निवासीगण ग्राम सिसवारा थाना रहीमाबाद लखनऊ आपस में अमादा फौजदारी होकर वाद विवाद कर रहे थे। हम पुलिस वालों द्वारा उभय पक्षो को समझाने बुझाने का काफी प्रयास किया गया किन्तु दोनों पक्ष बात मानने को तैयार नहीं हुये बल्कि और अधिक उग्र होकर आमादा फौजादारी होने लगे। अतः शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत मौके पर उभय पक्षों को परिशांति कायम रखने के लिए व संज्ञेय अपराध के निवारण के क्रम में **प्रथम पक्ष के 01.धीरज कुमार 02.सूरज, व द्वितीय पक्ष के 01.अशोक कुमार** को अन्तर्गत धारा 170/126/135 व 135(3) BNSS के तहत हिरासत पुलिस लिया गया।

इसके अतिरिक्त उ0नि0 मय हमराह क्षेत्र में मामूर होकर आवेदक सोभित पुत्र सोहनलाल निवासी ग्राम रामनगर मजरा ससपन थाना रहीमाबाद लखनऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की जांच में ग्राम रामनगर मजरा ससपन पहुंचे। जहां विपक्षी 01. सरवन उर्फ कल्लू पुत्र रामखिलावन लोधी उम्र करीब 32 वर्ष, 02. इन्द्रपाल पुत्र रामखिलावन उम्र करीब 28 वर्ष, 03.कमलकिशोर पुत्र रामसागर उम्र करीब 25 वर्ष सर्वनिवासीगण निवासी ग्राम रामनगर मजरा ससपन थाना रहीमाबाद लखनऊ मौजूद मिले, उपरोक्त विपक्षीगण द्वारा आवेदक सोभित उपरोक्त पर उसी दिन माँ-बहन की गाली देने का आरोप लगाते हुए आमदा फौजदारी होने लगे व कहे कि इसके गाली देने की वजह से झगड़ा हुआ था। जिस पर आवेदक सोभित भी आमदी-फौजदारी होने लगा। तनाव एवं कसीदगी को देखते हुये **प्रथम पक्ष के सोभित** को अन्तर्गत धारा 126/135/135(3) बीएनएसएस द्वितीय पक्ष के **01. सरवन उर्फ कल्लू, 02. इन्द्रपाल, 03. कमल किशोर** को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत हिरासत पुलिस लिया गया।

थाना स्थानीय पर एनसीआर/प्रार्थना पत्र की जांच के क्रम में आज दिनांक 31.08.2025 को उ0नि0 मय हमराह क्षेत्र में मामूर होकर ग्राम ककरहियाखेड़ा थाना रहीमाबाद लखनऊ पहुंचा । जहां पर प्रथम पक्ष के बनवारीलाल पुत्र रामविलास निवासी ग्राम ककरहियाखेड़ा थाना रहीमाबाद लखनऊ द्वारा थाना रहीमाबाद पर एनसीआर संख्या 47/2025 धारा 115(2)/352 बीएनएस बनाम 1.सर्वेश निवासी ककरहियाखेड़ा थाना रहीमाबाद लखनऊ 2.रिंकू निवासी ककरहियाखेड़ा थाना रहीमाबाद लखनऊ पंजीकृत कराया था । विपक्षी सर्वेश से उक्त पंजीकृत एनसीआर के बारे में जानकारी की गयी तो सर्वेश उपरोक्त बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था बल्कि और अधिक उग्र होकर आमादा फौजादारी हो रहा था । अतः शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत मौके पर सर्वेश पुत्र मोहनलाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम ककरहियाखेड़ा थाना रहीमाबाद लखनऊ उपरोक्त को परिशांति कायम रखने के लिए व संज्ञेय अपराध के निवारण के क्रम में अन्तर्गत धारा 170/126/135 व 135(3) BNSS के तहत हिरासत पुलिस लिया गया ।

तत्पश्चात उ0नि0 मय हमराह मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के मौके से रवाना होकर दिलावरनगर पहुँचा तो देखा कि लोगो की काफी भीड़ लगी है तत्पश्चात थाना हाजा से उ0नि0 संतोष यादव व का0 शीर्षपाल सिंह व का0 धर्मेश यादव को हस्बुलतलब हमराह लेकर उक्त के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि शिवकली पत्नी भगवानदीन निवासिनी ग्राम दिलावरनगर व बुधाना पत्नी जयराम निवासिनी ग्राम दिलावरनगर थाना रहीमाबाद लखनऊ द्वारा अमन वर्मा उपरोक्त के विरुद्ध दिये गये प्रार्थना पत्र व आई0जी0आर0एस0 तथा अमन वर्मा उपरोक्त द्वारा शिवकली व बुधाना उपरोक्त के विरुद्ध दिये गये प्रार्थना पत्र की जाँच में ग्राम दिलावरनगर पहुँचा जहाँ पर शिवकली, बुधाना व अमन वर्मा उपरोक्त आदि सब लोग मौके पर मौजूद मिले जिनसे प्रकरण के सम्बन्ध मे पूछताछ की गयी तो सब लोग आपस मे वाद विवाद करने लगे हम पुलिस वालों द्वारा उभय पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया तो शिवकली व बुधाना उपरोक्त आदि शान्त हो गयी लेकिन अमन वर्मा उपरोक्त बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था बल्कि और अधिक उग्र होकर आमादा फौजादारी हो रहा था । अतः शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत मौके पर अमन वर्मा पुत्र स्व0 हरदेव वर्मा उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम दिलावरनगर थाना रहीमाबाद लखनऊ को परिशांति कायम रखने के लिए व संज्ञेय अपराध के निवारण के क्रम में अन्तर्गत धारा 170/126/135 व 135(3) BNSS के तहत हिरासत पुलिस लिया गया ।

तत्पश्चात उ0नि0 मय हमराह मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के मौके से रवाना होकर आवेदक श्री सुशील कुमार पुत्र भैय्यालाल निवासी ग्राम कहला थाना रहीमाबाद लखनऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र व आई0जी0आर0एस0 प्रार्थना पत्र की जाँच में ग्राम कहला पहुँचा जहाँ पर सुशील कुमार उपरोक्त मौके पर मौजूद मिला जिससे प्रकरण के सम्बन्ध मे पूछताछ की गयी तो बताया कि मंजेश पुत्र मूलचन्द्र निवासी ग्राम सुरगौला थाना रहीमाबाद लखनऊ के यहाँ काम किया था जिसकी मजदूरी रु0 400/- (चार सौ) बकाया थी जिसे मैने दिनांक 22/08/2025 को समय सुबह करीब 09.30 बजे मंजेश उपरोक्त से मांगा तो गंदी गंदी गाली दिया, मार पीट किया व खेत मे गिराकर कंधे व शरीर पर कई जगह काट लिया। जिससे प्रकरण के सम्बन्ध मे जानकारी कि गयी तो उसने पैसे देने से इन्कार करते हुए हम पुलिस वालों के सामने ही गाली देने लगा व अपने गाँव सुरगौला से निकलने पर मारने की धमकी देने लगा इस बात पर दोनो पक्ष वाद विवाद करने लगे हम पुलिस वालों द्वारा उभय पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया तो सुशील कुमार उपरोक्त शान्त हो गया लेकिन मंजेश उपरोक्त बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था बल्कि और अधिक उग्र होकर आमादा फौजादारी हो रहा था । अतः शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत मौके पर मंजेश पुत्र मूलचन्द्र उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम सुरगौला थाना रहीमाबाद लखनऊ को परिशांति कायम रखने के लिए व संज्ञेय अपराध के निवारण के क्रम में अन्तर्गत धारा 170/126/135 व 135(3) BNSS के तहत समय 12.45 बजे हिरासत पुलिस लिया गया, दौराने गिरफ्तारी मा0 न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया ।

03.गिरफ्तार अभियुक्त का संक्षिप्त विवरणः-

01.धीरज कुमार पुत्र श्रीकेशन उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम सिसवारा थाना रहीमाबाद लखनऊ,
02.सूरज पुत्र श्रीकेशन उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम सिसवारा थाना रहीमाबाद लखनऊ,
03.अशोक कुमार पुत्र मथूरी उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम सिसवारा थाना रहीमाबाद लखनऊ।
04.सरवन उर्फ कल्लू पुत्र रामखिलावन लोधी रामनगर मजरा ससपन थाना रहीमाबाद लखनऊ,
05.इन्द्रपाल पुत्र रामखिलावन रामनगर मजरा ससपन थाना रहीमाबाद लखनऊ,
06.कमलकिशोर पुत्र रामसागर निवासी रामनगर मजरा ससपन थाना रहीमाबाद लखनऊ।
07.सर्वेश पुत्र मोहनलाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम ककरहियाखेड़ा थाना रहीमाबाद लखनऊ,
08.अमन वर्मा पुत्र स्व0 हरदेव वर्मा उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम दिलावरनगर थाना रहीमाबाद लखनऊ,
09.मंजेश पुत्र मूलचन्द्र उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम सुरगौला थाना रहीमाबाद लखनऊ।

04.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना रहीमाबादः-

01. उ0नि0 अमित कुमार थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
02 उ0नि0 संदीप कुमार थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
03. उ0नि0 श्री उमेश यादव थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
04. उ0नि0 इन्द्रजीत सिंह थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
05. उ0नि0 संतोष यादव थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
06. का0 शैलेन्द्र यादव थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
07. का0 ओमप्रकाश यादव थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
08. का0 शीर्षपाल सिंह थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
09. का0 धर्मेश यादव थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
10. का0 पवन कुमार थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ